16

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं. /2014/निगरानी R-2902-PBR/14

1. महेश प्रसाद पाठक
2. मुन्नालाल
3. दिनेश कुमार
4. पप्पू उर्फ मुरारी पुत्रगण श्री शंकरलाल पाठक, निवासीगण-ग्राम उटीला, तहसील मुरार जिला ग्वालियर ...प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री अखिलेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र
2. गणेश बिहारी
3. अरूण कुमार
4. आत्मानन्द

   पुत्रगण श्री रामस्वरूप पाठक
5. सुरेन्द्र गिरी नाबालिग पुत्र मथुरा गिरी, सरपरस्त माँ बेजन्तीबाई जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम उटीला तहसील मुरार जिला ग्वालियर .....प्रतिप्रार्थीगण

दिनाँक 4-9-14 को श्री पी.एन. शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।

4-9-14
SO

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2902—पीबीआर / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—09—2014	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0एन0शर्मा, उपस्थित। अनावेदक कमांक 3 श्री अरूणकुमार पाठक स्वयं उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा जो निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसमें अवगत कराया गया कि कि आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के प्रकरण कमांक 06 / अ—3 / 12—13 में पारित आदेश दिनांक 23—10—13 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें तहसील न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई थी लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील पंजीकृत नहीं करते हुये उनकी अपील मूलतः यह कहकर वापिस कर दी कि मूल खसरे की प्रति प्रस्तुत करें । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया कि खसरा में जालसाजी की गई है इसलिये ऐसा किया । 3— जहॉतक खसरों की आवश्यकता का प्रश्न है यह विचारण न्यायालय के अभिलेख का पार्ट होता है मात्र इस आधार पर अपील को ग्राह्यता के लिये विचार नहीं करना विधिनुकूल नहीं है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह आवेदक की अपील को विधि अनुसार ग्राह्यता के लिये विचार में लेवें । अनावेदकगण अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं । आवेदक की अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मूलतः आवेदक को वापिस की जाती है । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	Noted Sharma, 10.9.14 (हस्ताक्षर) 11.9.14